प्रेषक सख्या 334(1) / पचास यु०क० 95-94 पी०वी०डी० 94

डा० यशपाल सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन
लखनऊ।

सेवा में,

(१) समस्त मण्डायुक्त, उ०प्र०

(२)समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

(३)समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ० प्र०।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनऊ दिनांक : ०४ मई, १९९५

विषय :– ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर पर राज्य सेक्टर के अर्न्तगत ग्रामीण स्टेडियम कम व्यायामशाला की स्थापना, अखाड़ों की स्थापना तथा जिला सेक्टर के अर्न्तगत ग्रामीण व्यायामशाला (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र) की योजना चलाई जा रही है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष ९५–९६ से उक्त तीनों योजनाओं के स्थान पर जिला सेक्टर के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण स्टेडियम नामक एक योजना ही चलायी जाये।

२– ग्रामीण स्टेडियम में अभी तक शासन की योजना के अनुसार जिम्नेजियम हाल एवं २०० मी० रनिंग ट्रैक का प्राविधान था। अब संशोधित योजनानुसार स्टेडियम के अन्दर ही अखाड़े का निर्माण भी किया जायेगा। ग्रामीण स्टेडियम की इस योजना हेतु लगभग ३ एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जो संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

३– उक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि कि ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना हेतु वांछित भूमि (लगभग ३ एकड़) युवा कल्याण विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करते हुए अपने प्रस्ताव निदेशक युवा कल्याण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निदेशक युवा कल्याण जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव संकलित कर शासन को उपलब्ध करायेंगे। जिन जनपदों से नि:शुल्क भूमि की उपलब्धता की सूचना प्राप्त होगी, उन्ही जनपदों को वर्ष १९९५–९६ में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

डा० यशपाल सिंह
सचिव।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

पृष्ठांकन संख्या : ३३४(१)/पचास–य०क०–९५–९४ पी०वी०डी०/९४ तद्दि०

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(१) निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा, प्रादेशिक विकास दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(२) समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(३) नियोजन अनुभाग–३

(४) राज्य योजना आयोग–१ एवं २

(५) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–२

आज्ञा से,
(एस० पी० बेंजवाल)
उपसचिव।
सर्वोच्च प्राथमिकता

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

प्रेषक,

निदेशक युवा कल्याण एवं
प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :– ४६७८ /छ:–१६/प्राविद/१९९५ दिनांक–१९ सितम्बर, १९९५

विषय :– ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, युवा कल्याण, उ० प्र० शासन के पत्र सं०–३३४/पचास–यु०क०–९५–९४/९४, दिनांक–०४ मई, १९९५ का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।

२– ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना के संबंध में शासन के उपर्युक्त पत्र द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि ३ एकड़ की भूमि का विवरण निदेशक, युवा कल्याण को भेजा जाय। शासनादेश के क्रम में रायबरेली एवं गाजीपुर के जिलाधिकारी ने ही एक–एक स्टेडियम की भूमि का विवरण निदेशालय को भेजा। शासन के आदेशों के परिपालन में अन्य जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं हुयी।

३– ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सूचना भेजी जाय :–

(१) ग्रामीण स्टेडियम के लिये जो भूमि चयनित की जाय यह आयताकार हो ओर उसकी कम से कम लम्बाई १२० मी० तथा चौड़ाई ८० मी० हो। प्रस्ताव भेजते समय लम्बाई, चौड़ाई तथा भूमि आयताकार के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

(२) स्टेडियम में २०० मी० के ट्रैक के निर्माण के साथ–साथ यह भी देखना है कि वहाँ पर जिम्नास्टिक जिसमें पैरललवार, होरिजेन्टलवार, रोमनरिंग, पामिल्ड हार्स में प्रशिक्षण देने हेतु क्षेत्र में रूचि है या नहीं? इस बात का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य किया जाय।

(३) प्रस्तावित स्थान के आसपास हायरसेकेण्ड्री स्कूल, इण्टरमीडियेट एवं डिग्री कालेज का विवरण अवश्य दिया जाय। प्रस्तावित स्थान से विद्यालयों की दूरी भी स्पष्ट की जाय।

(४) प्रस्तावित स्थान यदि विद्यालय का है तो प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि स्टेडियम बनाने का निर्णय यदि शासन द्वारा लिया जाता है तो भूमि युवा कलण विभाग के नाम हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(५) भूमि ग्राम समाज की, युवक मंगल दल अथवा अन्य संस्था की है, जो राजस्व अभिलेखों में युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक होगा।

(६) प्रस्तावित स्थान पर ग्रामीण स्टेडियम की उपययोगिता के संबंध में टिप्पणी दी जाय कि किन–किन खेलों में खिलाड़ियों में रूचि है तथा कौन–कौन से खेल नियमित रूप से होते हैं और भवष्यि में चल सकते हैं।

(७) प्रस्तावित भूमि तक आने–जाने के लिये पक्की सड़क हो तथा आवागमन के साधन हों, का विवरण रिपोर्ट में दिया जाय।

(८) प्रस्तावित स्थान से जिला, तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय से दूरी का उल्लेख किया जाय।

(९) प्रस्तावित भूमि का रकबा एकड़ में दिया जाय।

(१०) प्रस्तावित भूमि के मैदान में पानी का भराव तो नहीं होता है, यदि हां तो मैदान खेल योग्य बनाने में अनुमानित कितनी धनराशि मिट्टी भराव व समतल करने में लगेगी, इसका उल्लेख रिपोर्ट में किया जाय।

४– निदेशालय को समय–समय पर जनपदों से ग्राम व स्टेडियम के लिये पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें भूमि का पूरा विवरण नहीं है। स्टेडियम की उपयोगिता के बारे में भी सूचना नही आयी है। अब उपरोक्त शासनादेश के क्रम में १० बिन्दुओं पर सूचना निदेशालय **को भेजी जाय। इस** महत्वपूर्ण योजना के **कार्यान्वयन** में जिन अधिकारियों द्वारा शिथिलता **बरती जाय उनके विरूद्ध कार्यवाही भी तुरन्त की जाय।**

ग्रामीण स्टेडियम की समीक्षा मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कराये जाने का प्रस्ताव है। अत: आपसे अनुरोध है कि दिनांक–३० सितम्बर, १९९५ तक अपने जनपद को सूचना भिजवा दें।

भवदीय,

(के० एस० धपोला)
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

१– सचिव, युवा कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन को शासनादेश सं०–३३४/पचास–यु०क०–९५/९४, दिनांक–०४ मई, १९९५ के संदर्भ में।

२– समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० की उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में।

३– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

४– समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रा० वि०द० अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(के० एस० धपोला)
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com